

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

परविन्द सिंह आदि बनाम गुरबैव सिंह आदि

संख्या 303 / 2023 अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209 RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
-----	-----------------------------------	---

18-02/25

वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को रुक-र कर उबार आवाप्य लगवाई गई कोई उपरिचय नहीं आया। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 RTA अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर